XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 760–एक / 15

जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–5–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27–1–2006 के विरूद्ध दिनांक 10.4.15 को अर्थात 9 वर्ष के विलंब से पेश की गई है । विलंब के संबंध में यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे आदेश से सूचित नहीं किया गया तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–6–11 को उनका नाम प्रश्नाधीन खसरा नं. से विलोपित कर दिया गया तथा अनावेदकों द्वारा विवादित आराजी में फसल काटने की बात कहे जाने पर उन्हें जानकारी हुई । अनावेदकों द्वारा उनसे फसल काटने की बात कब कही गई, इस दिनांक को कोई उल्लेख धारा 5 के आवेदन में नहीं है इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण वर्ष 2000–01 में पंजीबद्ध हुआ है तथा दिनांक 27–1–06 को आलोच्य आदेश पारित हुआ है । इतनी लंबी अवधि तक आवेदक ने अपने प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त क्यों नहीं की इस संबंध में कोई उल्लेख आवेदन में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है । सदस्य	11-5-20

निगरानी 760-I-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व निगरानी क्रमांक /2015

निगरानीकर्तागण :- 1. सुदंर तन्य बल्दुआ अहिरवार
2. मुन्ना तन्य बल्दुआ अहिरवार
3. सुक्का तन्य हल्का अहिरवार
समस्त निवासीगण ग्राम बौड़ा
तह. छतरपुर जिला छतरपुर

श्री योगेन्द्र सिंह भदोरिया एड०
द्वारा आज दि. 10-4-15 को
प्रस्तुत
10-4-15
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

रेस्पोन्डेंट :- कट्टू तन्या बल्दुआ अहिरवार निवासी ग्राम बौड़ा तह. छतरपुर जिला छतरपुर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.रा.सं.

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 27.01.2006 'न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 459/अ-6/2000-01.

निगरानी के तथ्य

1. निगरानीकर्तागण ने ग्राम बौड़ा में स्थित भूमि के संदर्भ में न्यायालय सहायक बंदोबस्त अधिकारी छतरपुर के समक्ष म0प्र0 भू-रा0सं0 की धारा 70(4) एवं धारा 115 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया कि कब्जे के आधार पर रिकार्ड सुधारा जाये। दिनांक 30.05.198 को निगरानीकर्तागण के पक्ष में आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध रेस्पोन्डेंट